

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री बी.एल.कोठारी

आई.ए.एस.

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोंडेन्ट

मालाराम पुत्र जगताराम जाति कलबी
निवासी राउता तहसील बागोडा जिला
जालोर

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बागोडा

प्रकरण संख्या अपील

09/2018

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-

1-श्री साविर खां, अभिभाषक अपीलान्त

2-श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-23.04.2018

1. अपीलान्त के द्वारा यह अपील तहसीलदार बागोडा द्वारा प्रकरण संख्या 93/2017 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 शीर्षक सरकार बनाम मालाराम पुत्र जगताराम जाति कलबी निवासी राउता में पारित आदेश दिनांक 12.01.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. अपीलांत के विद्वान अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत किया कि अपीलांत मजदूर वर्ग का काश्तकार व्यक्ति है सरहद मौजा राउता में खसरा नंबर 257 रकबा 0.13 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन लाटा की आई हुई है। उक्त भूमि पर अपीलांत के पूर्वजों का करीबन 50 वर्षों से अधिक समय से मौके पर कब्जा है तथा अपीलांत उक्त भूमि को अपनी फसलों को रखने एवं पशुओं का चारा रखने हेतु उपयोग में ले रहा है। खसरा नंबर 257 प्रारम्भ से ही लाटे की भूमि है। अपीलांत ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत उक्त भूमि पर ही शौचालय का निर्माण किया है। खसरा नंबर 257 की भूमि किसी प्रकार से पूर्व में गोचर डोली अथवा रास्ते की भूमि नहीं है। उक्त खसरा नंबर 257 गैर मुमकिन लाटे की भूमि पर अपीलांत का पुराना कब्जा होने से अतिरिक्त तहसीलदार बागोडा द्वारा दिनांक 26.12.1998 को अपीलांत के नाम भूमि आवंटित की हुई है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये ग्राम राउता के भूमि तस्करों से मिलावट कर उनके कथनानुसार अपीलांत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर भूमि तस्करों की भूमि की अधिक कीमत प्राप्त करवाने के आशय से अपीलांत के विरुद्ध बिल्कुल गलत प्रकरण दर्ज कर धारा 91 राजस्थान लैण्ड रैवेन्यू एक्ट के तहत अपीलांत को नोटिस जारी कर आगामी पेशी 22.12.2017 नियत की गई। उक्त नोटिस अपीलांत को प्राप्त होने पर अपीलांत न्यायालय होकर जवाब व साक्ष्य पेश करने हेतु समुचित अवसर चाहा। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत की अनुपस्थिति दर्ज करते हुये साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.12.2017 एवं 12.01.2018 को अपीलांत को जवाब व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं करते हुये अपीलांत के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि के पास ही आबादी भूमि में अन्य लोगों का रहवास है। उक्त भूमि मौके पर किसी प्रकार से रास्ते डोली अथवा गोचर की भूमि न होकर अपीलांत के कब्जे की भूमि तथा उक्त भूमि पर अपीलांत व उसके परिवार का पुराना कब्जा होने के कारण राजस्थान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार काबिल नियमन होते हुए उक्त भूमि को नियमन न कर बेदखली का आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तारीख पेशी दिनांक 12.01.2018 को अपीलांत को साक्ष्य सबूत का अवसर न देकर अपीलांत के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं तथा अपीलांत को मौके पर से बेदखल करने के आदेश दिये हैं। जो विधि सम्मत नहीं होने से कानूनन अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांत की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय व आदेश पारित किया तथा अन्तिम रूप से जानकारी तब हुई जब अपीलांत को दिनांक 05.02.2018 को अधीनस्थ न्यायालय से उक्त निर्णय दिनांक 12.01.2018 के आदेश की नकल प्राप्त

हुई। इस प्रकार ज्ञान की तारीख एवं नकल प्राप्ति की तारीख से अपीलांट की अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

4. सरकारी अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को मौजा राउता के गैर मुमकिन लाटा की भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर वादग्रस्त आराजी पर से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिए जाकर अतिक्रमित क्षेत्र के लगान का 50 गुणा 50/-रूपए बतौर जुर्माना आरोपित किया गया व बेदखली के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिवत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई के अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।


प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को मौजा राउता के खसरा नंबर 257 रकबा 0.13 किस्म गैर मुमकिन लाटा की भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर वादग्रस्त आराजी पर से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिए जाकर अतिक्रमित क्षेत्र के लगान का 50 गुणा 50/-रूपए बतौर जुर्माना आरोपित किया गया तथा बेदखल करने का आदेश पारित किया है।

अपीलांट के वकील द्वारा अपील के संलग्न अतिरिक्त तहसीलदार बागोडा के द्वारा अपीलांट को ग्राम राउता के खसरा नंबर 257 किस्म गैर मुमकिन लाटा में से 500 वर्ग गज भूमि वाडा के लिये राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 98के तहत निशुल्क आंवटन की प्रति अपील के साथ पेश की है, जिसका अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार अपीलांट को लाटा हेतु 500 वर्ग गज भूमि का आंवटन अतिरिक्त तहसीलदार बागोडा द्वारा 26.12.1998 को किया गया था।


अपीलांट का अतिक्रमण भी ग्राम राउता के खसरा नंबर 257 गैर मुमकिन लाटा रकबा 0.13 हेक्टर पर अतिक्रमण कर कब्जा किया जाना बताते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी मानकर रहवासीय मकान का अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया है।

अपीलाधीन मूल प्रकरण एवं पत्रावली पर उपलब्ध आंवटन आदेश एवं उभय पक्ष की बहस में व्यक्त किये गये तथ्यों के अनुसार अपीलांट को खसरा नंबर 257 में से आंवटित 500 वर्ग गज भूमि के आंवटन बाबत जांच एवं समुचित सुनवाई व जवाब का अवसर नहीं दिया जाना पाया जाता है। अपीलांट का अतिक्रमण अपीलांट को आंवटित 500 वर्ग गज भूमि में है अथवा अन्य अतिक्रमित आराजी पर अतिक्रमण एवं पक्का निर्माण है, बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जांच नहीं की गई न ही अपीलाधीन निर्णय में इस संबंध में विवेचना की है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों की जांच कर अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर पुनः विधी सम्मत आदेश पारित किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बागोडा को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में उपर वर्णित विवेचनानुसार समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर पुनः नियमानुसार विधी सम्मत आदेश पारित किया जावे।


(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 23.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर